संख्या- 194 /2026 / 2288 / चार-2026-1835998

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2026**

विषयः- दिनांक 09 अगस्त, 2026 को बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर "काकोरी ट्रेन एक्शन" समारोह के आयोजन हेतु मंच पण्डाल, टेंट एवं फर्नीचर, साज-सज्जा आदि पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1205/सं0नि0-15(55)/2026-27 दिनांक 07 अगस्त, 2026 तथा पत्र संख्या- 1338 /सं0नि0-15(55)/2026-27 दिनांक 14 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आजादी का अमृत काल महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 09 अगस्त, 2026 को लखनऊ में बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर "काकोरी ट्रेन एक्शन" समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यह भी अवगत कराया गया है कि गत वर्षों से दिनांक 09 अगस्त को "काकोरी ट्रेन एक्शन" के अवसर पर बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हुए शहीदों के आश्रितों/परिजनों हेतु जिलाधिकारी द्वारा समस्त व्यवस्थाओं (टेन्ट एण्ड फर्नीचर, माईक/पंखे/विद्युत सजावट एवं बुके/बंच सच्चे फूलों की सजावट/ स्नैक्स पैकेट) हेतु की जाती हैं, जिस पर होने वाला व्यय संस्कृति विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस वर्ष भी जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव धनराशि रू0 58,80,340/- (रूपए अट्ठावन लाख अस्सी हजार तीन सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित की गयी है।

2 इस संबंध में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 09 अगस्त, 2026 को बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर "काकोरी ट्रेन एक्शन" समारोह के आयोजन हेतु मंच पण्डाल, टेंट एवं फर्नीचर, साज-सज्जा आदि पर होने वाले व्यय रू0 58,80,340/- (रूपए अट्ठावन लाख अस्सी हजार तीन सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) **दिनांक 09.08.2026 को आयोजन में कई स्थानों पर माइक की व्यवस्था एवं compression ठीक नहीं था। कई मा0 जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका उल्लेख भी किया गया। उक्त के क्रम में इसको account for करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।**

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण / व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय विवरण से शासन को एक माह में अवगत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या - 194 /2026 / 2288 (1) / चार-2026-1835998 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in